राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी (मुद्रांक) संख्या –1431/2005/अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक ब्यावर, अजमेर .....प्रार्थी.

बनाम्

1. श्री मदनकिशोर पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जाति–अग्रवाल
   निवासी– माधोपुरिया मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर
2. श्री लक्ष्मीनारायण गोयल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जाति–अग्रवाल
   निवासी– माधोपुरिया मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री सुरेन्द्र सेठी
अभिभाषक। .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.01.2016

निर्णय

यह निगरानी राजस्व द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112/1997 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.1997 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 56 के तहत् प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैः–

1. अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 द्वारा ब्यावर में एक सम्पत्ति का क्रय वर्ष 1981 में पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 दोनों सगे भाई थे। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 14.07.1994 को उक्त सम्पत्ति में अपने हिस्से का हक त्याग करते हुए एक दस्तावेज 100 रूपये के मुद्रांक पत्र पर लिखकर पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने उक्त दस्तावेज को स्व–अर्जित सम्पत्ति होने के कारण हक त्याग पत्र नहीं मानकर विक्रय पत्र माना एवं प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को सन्दर्भित कर दिया। कलक्टर (मुद्रांक) ने निर्णय दिनांक 16.11.1994 से रेफरेन्स स्वीकार कर कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क जमा कराने का आदेश दिया। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जो माननीय राजस्व मण्डल ने स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.04.1996 से कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 16.11.1997 को निरस्त कर दस्तावेज को हक त्याग पत्र (Release) मानते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। कलक्टर (मुद्रांक) ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय में अवधारित हक त्याग अनुसार दस्तावेज पंजीयन कर लौटाने का निर्णय किया। कलक्टर (मुद्रांक) के उक्त निर्णय दिनांक 15.10.1997 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

लगातार.....2

2. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा एवं अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेठी की मौखिक बहस सुनी गयी।

3. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि केवल पैत्तृक सम्पत्ति में से सह–हिस्सेदार के पक्ष में हक त्याग करने पर ही मुद्रांक कर में छूट आर्टिकल 48 (पुराना 55) के अनुसार देय है। प्रस्तुत प्रकरण में सम्पत्ति दोनों भाईयों द्वारा स्व–अर्जित है। अतः विक्रय पत्र के अनुसार मुद्रांक कर देय है। अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि हक त्याग पत्र 14.07.1994 को निष्पादित किया गया था। अतः वर्ष 1999 में जारी संशोधन इस दस्तावेज पर प्रभावी नहीं किये जा सकते। निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 55 में 01.04.1997 से पूर्व निम्न प्रावधान थे,

Article 55 as stood prior to 1-4-1997 reads:

"Art. 55. Release, that is to say any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property-

(*a*) if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 1,000;	The same duty as on a Bond (No. 15) for the amount or value as set forth in the lease.
(*b*) in any other case.	One Hundred Rupees.

हमने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.1996 में अंकित न्यायिक दृष्टांतों यथा ए.आई.आर. 1970 मद्रास पेज 348–349 एवं आर. आर.डी. 1988 पेज 682 का भी ससम्मान अध्ययन किया।

उक्त निर्णयों में हक त्याग (Release) को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में स्व–अर्जित सम्पत्ति होने पर भी हक सफा (Pre-existing rights) के आधार पर यह दस्तावेज हक त्याग पत्र (Release deed) की श्रेणी में आता है। चुंकि दिनांक 01.04.1997 से पूर्व सम्पत्ति के पैतृक होने की शर्त अनुच्छेद 55 में विद्यमान नहीं थी। अतः स्व–अर्जित सम्पत्ति की दशा में यह प्रकरण अनुच्छेद 55 (b) में कवर होता है जिसमें देय मुद्रांक कर 100 रूपये से अधिक नहीं है।

अतः राजस्व की निगरानी उक्त विवेचन अनुसार अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

28/11/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य